# HRA का राजपत्र The Gazette of India

### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] No. 375] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2006/श्रावण 27, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2006/SRAVANA 27, 1928

# कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 484(अ).—कयर बोर्ड द्वारा कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा सौंपी गई शिक्तियों के प्रयोग में कयर बोर्ड (सेवा) उप-नियम, 1983 को संशोधित करने और केन्द्र सरकार द्वारा पुष्टि किए गए उक्त धारा 27 की उप-धारा 2 द्वारा यथा अपेक्षित निम्नलिखित उप-नियम एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, नामत: :-

- 1. (1) इन उप-नियमों को कयर बोर्ड (सेवा) संशोधन उप-नियम, 2006 कहा जा सकता है।
  - (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. कयर बोर्ड (सेवा) उप-नियम, 1983 में,-
  - (i) कयर बोर्ड (कारबार का संव्यवहार, कर्मचारियों की सेवा शर्तें और लेखाओं का अनुरक्षण) उप-नियम, 1955 के उप-नियम 15 के साथ पठित प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द, आंकड़े और कोष्ठक हटा दिए जाएंगे ;
  - (ii) अनुसूची में शोरूम प्रबंधक ग्रेड I, शोरूम प्रबंधक ग्रेड II, शोरूम प्रबंधक ग्रेड III, के पदों के लिए और कॉलम 1 से 10 में उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

=												1.		UF	VE	11	EU		IND	<u> </u>	E./		\ <u>A</u>	OK.	DΠ	VAR	1				[PAR	1 11	
	पदोन्नति/प्रतिनिधुक्ति/स्थाना	तरण द्वारा भती के मामले	में ग्रेड जिसमें	नियुक्ति/	स्थानास्तरम् । कथा धाना					10	शोरम प्रबधक ग्रेड ॥ और	शोरुम प्रबधक ग्रेड ॥ -	सह-जन सपक अधिकारी			शोस्म प्रबधक ग्रेड ॥।					शोरुम प्रबधक ग्रेड ।।।							लागु नहीं					
		क्या सीधी भती	द्वाए। अथवा	पदोन्नति द्वारा या गुरिह्या	प्राधानथुःक, स्थानातरण द्वारा है	और विभिन्न	A TE	जाने वाली रिक्तियो	की प्रतिशतता	Ō	पदोन्नति				•	पदोन्नति					पदोत्रति		-	<b>.</b>				(1) 50% सीधी	मती द्वारा				
	पदोन्नति के लिए	न्यूनतम योग्यता								8	प्रबंधक ग्रेड ॥ अथवा	प्रबाधक ग्रेड ॥ - सह-	जन सपर्क अधिकारी	के रुप में पान वर्ष	की नियमित भेवा	प्रबंधक ग्रेड ॥। के रुप	में तीन वर्ष की	नियमित सेवा			प्रबंधक ग्रेड III के	रुंप मे तीन वर्ष की	नियमित सेवा और	जन संपर्क, संपर्क	और प्रोटोकॉल मे	अनुभव सहित मान्यता पात विश्वविद्यालय से	<b>欧斯</b>	लागू नही					
अनुसूची	भिती	निए अपेक्षित	शैकाणिक और अन्य	योग्यताए						7	लागू नही		-			लागू नहीं					लागू नहीं					•		उत्पादों के	U	मान्यता साम	गलय	डिग्री सम्बन्ध	200
	सोटी म		लिए आयु	E E						9	लागू नहीं					लागू नही					लागू नहीं							ॐ वर्		-			
	क्या चयन पद	अथवा गैर्	U							5	चयन					चयन				`	चयन							गैर-वयन					
	वेतनमान									4	8000-	275-	13500	रुपये		-0099	200-	10500	स्पर्य		8200	-500-	10500	रुपये	••			4500-	7007	मुन्द्रिय		·	
	वर्गीकर्ण									က	समूह क					समूह ख					समूह ख						. !	समूह ग					
	पदी की सख्या									2	(레뉴)(2006)	* कार्यभार पर	निर्माए करते	हुए भित्रता के	अधीन	(BC) (2008)	* कार्यभारं पर	निर्मर करते	हुए भिन्नता के	अधीन	(एक) (2006)	। कायभार् पर	निर्मर करते	हुए भिन्नता के	अधीन			(तेईस)	(zoob) *	कारमार पर	हुए भिन्नता के	- अधी	
	타	नु:म						_		-	श्रोरम	प्रबंधक				श्रोरुम	प्रबंधक	<u>म</u>	_		दल्ल	म्	प्रबंधक	- = = =	सह-जन	सप्क अधिकारी		शोरम	7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2		,	

अन्स्वी

पद का नाम	, पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद अथवा गैर- चयन पद है!	सीधी मती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी मती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	पदोन्निति के लिए न्यूनतम योग्यता	मर्ती की विधि क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा है और विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानां तरण द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है।
					लागू नहीं	लागू नहीं	सहायकं शोरुम प्रबंधक अथवा प्रवर श्रेणी लिपिक के रुप में तीन वर्ष की नियमित सेवा	(ii) 50% पदोन्नति द्वारा	सहायक शोरुम प्रबंधक अथवा प्रवर श्रेणी लिपिक

[सं. एफ. 2(13)/2005-कयर]

शेष कमार पलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुल उप-नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 के सं. का.आ. 4481 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 27 फरवरी. 1997 के सं. का.आ. 154(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

# MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2006

G.S.R. 484(E).— The following bye-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), further to amend the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983 and confirmed by the Central Government are hereby published as required by sub-section 2 of the said section 27, namely:-

- These bye-laws may be called the Coir Board (Services) Amendment Bye-laws, 2006. 1.(1)
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. (2)
- 2. In the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983,
- in the opening paragraph, the words, figures and brackets "read with bye-law 15 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and (i)
- (ii) in the Schedule, for the posts of Showroom Manager Grade I, Showroom Manager Grade II and Showroom Manager Grade III and the entries relating thereto in columns 1 to 10, the following shall be substituted, namely:-

PART I
I—SEC. 3(
3(i)]

	SCHEDULE													
Name of Post	No. of posts	Classifi- cation	Scale of Pay	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications for direct recruits.	Minimum qualifications for promotion	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Showroom Manager Grade I	(Three) (2006) * subject to variation dependent on work- load	Group A	Rs.8000- 275-13,500	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Five years regular service as Manager Grade-II or Manager Grade II-cum-Public Relations Officer	Promotion.	Showroom Manager Grade II and Showroom Manager Grade II-cum- Public Relations Officer.					
Showroom Manager Grade II	(Six) (2006) * subject to variation dependent on work- load	Group B	Rs.6500- 200-10,500	Selection	Not Applicable	Nut Applicable	Three years regular service as Manager Grade III	Promotion.	Showroom Manager Grade III					
Showroom Manager Grade II- cum-Public Relations Officer at Delhi	(One) (2006) * subject to variation dependent on work- load	Group B	Rs.6500- 200-10,500	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Degree of a recognised university with three years regular service as Manager, Grade III and having experience in public relations, liaison and protocol.	Promotion.	Showroom Manager Grade III					
Showroom Manager Grade III	(Twenty three) (2006) * subject to variation dependent on work- load	Group C	Rs.4500- 125-7,000	Non-Selection	35 years	Degree of a recognised University or equivalent with two years experience in marketing of consumer products	Not applicable	(i) 50% by direct recruitment.	Not applicable					

Name Post	of	No. posts	of	Classifi- cation	Scale Pay	of .	_	post non- est	Age for recrui	limit direct ts	Educational other qualifications direct recruits.		Minimum qualifications for promotion	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made
									Not applic	cable	Not applicable	·	Three years regular service as Assistant Showroom Manager or Upper Division Clerk.	(ii) \0% by promotion.	Assistant Showroom Manager or Upper Division Clerk

[ No. F. 2(13)/2005-Coir]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note: The principal bye-laws were published in the Gazette of India vide number S.O. 4481 dated 17 December, 1983 and last amended vide number S.O. 154(E), dated 27 February, 1997.